

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000182014

दांडिक प्रकरण क.-34 / 14

संस्थापित दिनांक-10.01.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-लखन पुत्र नाथूलाल अहिरवार आयु 19 वर्ष निवासी शंकर कालोनी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.01.2018 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 304ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

सीताराम ने दिनांक 19.11.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 19.11.13 रात्रि 09:00 बजे फतेहाबाद रोड छात्रावास के पास आमरोड चंदेरी में वाहन क्रमांक एम पी 67 जी 0167 के चालक लखन द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारी जिससे चालक राजाराम की अस्पताल लाते-लाते मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 437/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 304ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.11.13 को समय रात के करीब 09 बजे स्थान फतेहाबाद रोड छात्रावास के पास चंदेरी आमरोड पर माल वाहक गाड़ी पिकअप नंबर एम पी 67 जी 0167 को तेजी एवं उतावलेपन से चलाते हुये वाहन मोटरसाइकिल टी व्ही एस स्पोर्ट्स में टक्कर मारकर मृतक राजाराम की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानववध की कोटी में नहीं आता है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सरवन, अ.सा.2 दीपचंद, अ.सा.3 सुमन ओझा, अ.सा.4 तुलसीराम, अ.सा.5 खुमान, अ.सा.

डॉ वी पी गोतम, अ.सा.7 मदनलाल, अ.सा.8 सिन्नामसिंह, अ.सा.9 डॉ एस पी सिद्धार्थ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 सरवन ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी को जानता है तथा मृतक राजाराम उसका भाई लगता था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना रात्रि 8-9 बजे की है तथा उसके रिश्तेदार जण्डेलसिंह ने फोन करके उसे बताया था कि राजाराम का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने दीपचंद को फोन करके पूछा तो उसने बताया था कि राजाराम का एक्सीडेंट हो गया है अस्पताल जाकर देख लो। अ.सा.1 के अनुसार दीपचंद ने राजाराम को एम्बुलेंस में देखा था। उक्त साक्षी के अनुसार दीपचंद एक्सीडेंट वाली जगह पर गया था जहां पर सुमन ओझा व राजा साहू मिले थे जिन्होंने उन्हे बताया था कि मैजिक वाहन से उसकी भाई का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है तथा वाहन को लखन लापरवाही से चला रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचा तो राजाराम की मृत्यु हो गई थी तथा मृत्यु पंचनामा प्र0पी01 एवं नक्सा पंचायतनामा प्र0पी02 के ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि पहले वह अस्पताल गया था जहां उसे राजाराम मृत मिला था तथा उसके बाद दुर्घटना स्थल पर गया था जहां पर दुर्घटना करने वाला वाहन एवं आरोपी नहीं मिले थे।

08— अ.सा.2 दीपचंद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता तथा मृतक राजाराम को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को जानकारी लगी थी कि राजाराम का एक्सीडेंट हो गया है जिसे उसने अस्पताल जाकर देखा था जहां पर मृत घोषित हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार वह सरवन जीजाजी के साथ घटना स्थल पर गया था तथा उसने मोटरसाइकिल को खड़े हुए देखा था। उक्त साक्षी के अनुसार सुमन ओझा एवं खुमान साहू वहां पर उपस्थित थे जिन्होंने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने बताया था कि लखन ने वाहन को लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार

किया है कि उसके समक्ष घटना कारित करने वाला वाहन मौजूद था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि पुलिस वाहन को उसके समक्ष जप्त किया था। उक्त साक्षी ने उसे खुमान एवं सुमन ने घटना के बारे में बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह घटना स्थल पहुंचा तो वहां पर आरोपी नहीं था।

09— अ.सा.3 सुमन ओझा ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है और न ही मृतक राजाराम को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे दुध टिना की कोई जानकारी नहीं है तथा उसके समक्ष कोई दुर्घटना नहीं हुई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने वाहन से राजाराम की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने दुध टिना देखी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी ने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर राजाराम को टक्कर मारी थी। अ.सा.8 सिरनामसि ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष प्र0पी08 का नक्सा मौका तैयार किया था। उक्त साक्षी ने प्र0पी011 का पुलिस कथन का ए से ए भाग देने से इंकार किया है।

10— अ.सा.4 तुलसीराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी एवं मृतक को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे सरवन ने फोन करके बताया था कि राजाराम एक्सीडेंट हुआ है जाकर देखलो। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचा तो राजाराम को मृत घोषित कर दिया था। फिर वे लोग घटना स्थल पर गये जहां पर साहू जी सुमन ओझा एवं सिरनाम थे जिन्होंने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष मोटरसाइकिल एवं पिकप वाहन प्र0पी04 एवं प्र0पी05 के अनुसार जप्त किये गये थे। अ.सा.4 के अनुसार वह उक्त तीनों साक्षीगण के बताये अनुसार यह कह रहा है कि वाहन लखन चला रहा था। अ.सा.5 खुमान ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है तथा मृतक को भी जानता है। उक्त

साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को राजाराम फतेहाबाद की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहा था तथा चंदेरी की ओर से पिकप वाहन तेजी से जा रहा था जिसे आरोपी तेजी से चला रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने वाहन को तेजी से चलाकर राजाराम की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी जिससे वह गिर गया था और उसे चोट आई थी। अ.सा.1 के अनुसार फिर घटना स्थल पर उपस्थित एवं उसके समक्ष घटना हुई थी तथा उसे दूसरे दिन पता चला था कि राजाराम की मृत्यु हो गई है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना स्थल पर दीपचंद व तुलसीराम आ गये थे। अ.सा.5 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि गाड़ी उसके सामने टकराई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि वाहन को आरोपी चला रहा था तथा वह उतर कर भाग गया था।

11— अ.सा.6 डॉ बीपी गौतम ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 19.11.13 को एम्बूलेंस द्वारा एक मरीज को लाया गया था जिसकी सूचना प्र0पी08 की पुलिस को दी थी। अ.सा.9 डॉ एसपी सिद्धार्थ ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 20.11.13 को उनके द्वारा राजाराम के शव का परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी011 है उक्त रिपोर्ट अनुसार मृत्यु का कारण आघात था तथा मृत्यु का प्रकार दुर्घटना जनित था।

12— अ.सा.7 मदनलाल द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में मृतक राजाराम की मृत्यु जांच हेतु फार्म प्र0पी01 जारी किया गया था तथा नक्सा पंयायतनामा प्र0पी05 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मानचित्र प्र0पी08 तैयार किया गया था एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी09 लेखवद्ध की गई थी जिनके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा.7 के अनुसार उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान नुकसानी पंचनामा प्र0पी010 तैयार किया गया था एवं प्र0पी03, प्र0पी04 के अनुसार मोटरसाइकिल एवं पिकप वैन जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया गया है कि उसने प्रकरण में अपनी मर्जी से साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये हैं।

13— अभियोजन ने अभिलेख पर जिन साक्षीगण की साक्ष्य प्रस्तुत की है उनके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि अ.सा.3, अ.सा.5 एवं अ.सा.8 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा घटना देखी गई है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.3 एवं अ.सा.8 पक्षद्रोही हो गये हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण में से अ.सा.5 ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाही से चालित किया गया तथा मृतक राजाराम की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई जिससे उसे चोटें आई थी। अ.सा.9 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है उनकी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को राजाराम की मृत्यु हो गई थी तथा मृत्यु दुर्घटना जनित थी। अ.सा.5 ने अपने कथन में बताया है कि घटना के पश्चात दीपचंद तुलसीराम मौके पर आ गये थे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अ.सा.2 दीपचंद एवं अ.सा.4 तुलसीराम ने अपने कथन में बताया है कि वे लोग घटना के पश्चात मौके पर पहुंचे थे। अ.सा.2 एवं अ.सा.4 ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें घटना के बारे में अ.सा.3, अ.सा.5 एवं अ.सा.8 ने बताया था।

14— अ.सा.1, अ.सा.2 एवं अ.सा.4 की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त साक्षीगण दुर्घटना के पश्चात मौके पर पहुंचे थे तथा उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी प्रकट हो रहा है कि उक्त दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.3, अ.सा.5 एवं अ.सा.8 हैं। अ.सा.1, अ.सा.2 एवं अ.सा.4 ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें उक्त साक्षीगण ने बताया था कि आरोपी द्वारा ही उक्त घटना कारित की गई है। यद्यपि उक्त साक्षीगण की साक्ष्य सुनी-सुनाई साक्ष्य के आधार पर दी गई है, किंतु अ.सा.5 की अखण्डनीय एवं स्पष्ट साक्ष्य तथा अ.सा.5 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा.9 मेडिकल विशेषज्ञ की साक्ष्य से होना अपने आप में यह प्रमाणित कर रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर मृतक राजाराम की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। उल्लेखनीय है कि अ.सा.5 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह

निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अ.सा.5 की साक्ष्य अविश्वसनीय या विरोधाभासी है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध झूठा मामला प्रस्तुत किया है।

15— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 304ए के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है

16— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण समन विचारणीय है अतः आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।

17— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक याता-यात के नियमों के विरुद्ध चालित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 304ए के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

18— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल एवं पिकप पूर्व से सुपुदर्गी पर है अतः उक्त सुपुदर्गीनामे निरस्त समझे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

20— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)